

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

कमलेश आदि

बनाम आंकार लाल आदि

34 / 2023 अन्तर्गत धारा 212 RPA

	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
2 14	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथमिक पत्र हेतु समर्थ चाहिए। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथमिक पत्र दिनांक 18/03/24 को पेश हो। ①</p>	
3 18 24	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथमिक पत्र हेतु समर्थ चाहिए। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथमिक पत्र दिनांक 24/04/24 को पेश हो। ↓</p>	
4 24	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथमिक पत्र हेतु समर्थ चाहिए। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में हमारा राजीनामा हो चुका है। राजीनामा पेश करने हेतु समर्थ चाहिए। पत्रावली वास्ते राजीनामा दिनांक 27/05/24 को पेश हो। ↓</p>	
29 24	<p>दकील फारीक उपस्थित श्रीमान् PO सह अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 20/5/24 को पेश हो। <u>Kamal</u></p>	
30 24	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। प्राथमिक अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RPA नोटप्रेस किया। प्राथमिक अधिवक्ता को खना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राथमिक द्वारा प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RPA नोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर थोड़ा किया जाकर प्रकरण में धारी अस्थायी विधिद्वारा दिनांक 24/03/23 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णय लेकर नम्बर से काम लेकर निम्निल प्रकार हो। ↓</p>	<p>Note press <u>Amr</u></p>